

अधिसूचना

अधिसूचना सं०-7/वि०-108/2007 396 पटना, दिनांक- 13.04.07

मंत्रिमंडल सचिवालय एवंसमन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-म०म०-01/आर०-02/2007-602, दि०-20.03.2007 के द्वारा बिहार राज्य जल पर्षद का नियंत्रण दिनांक-01.04.2007 के प्रभाव से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन कर दिया गया है। तदनुसार बिहार राज्य जल पर्षद को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन लिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शशि शंखर शर्मा)

सरकार के सचिव,

पटना, दिनांक- 13.04.07

ज्ञाप संख्या-7/वि०-108/2007 397

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव,

पटना, दिनांक- 13.04.07

ज्ञाप संख्या-7/वि०-108/2007 397

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार पटना/ राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार पटना/सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता (प्रक्षेत्र सहित)/मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,

पटना, दिनांक- 13.04.07


ज्ञाप संख्या-7/वि०-108/2007 397

प्रतिलिपि-सचिव के सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि- सरकार के सभी सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,

3. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / मुख्य अभियंता (नागरिक) / मुख्य अभियंता (रूपाकण) / क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र / मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र / भागलपुर प्रक्षेत्र / उप निदेशक (मूल्यांकण) / कार्यपालक अभियंता (मो०) / कार्यपालक अभियंता (मो० / मू०) / निदेशक (सी० सी० डी० यू०) / निदेशक, (पी० एम० यू०) / सहायक निदेशक (पी० एम० यू०) / सहायक अभियंता (मो०) / सहायक अभियंता (मू०) / परियोजना पदाधिकारी / अवर सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी 1/4/6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. परियोजना पदाधिकारी (जल एवं स्वच्छता), यूनिसेफ, बिहार' एरिया कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, जिला परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक), / सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 22/08/2019
 (शशि शोखर शर्मा)
 सचिव